

न्यायालय श्री पुरुषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 10/2018

गोविन्द पुत्र श्री जगदीश, जाति-जाट, निवासी-ग्राम कोथून, तहसील-चाकसू,
जिला-जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
2. सुरेश पुत्र श्री रामेश्वर, जाति-जाट, निवासी-ग्राम कोथून, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आज्ञा दिनांक 13.07.2018 तहसीलदार चाकसू, जिला-जयपुर बमिसल संख्या 48/2018 उनवानी सरकार बनाम गोविन्द अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थित:-

1. श्री राधेश्याम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. परोकार सरकार।
3. श्री गोपाल लाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट सं0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.06.2019

तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 13.07.2018 द्वारा अपीलान्ट गोविन्द पुत्र श्री जगदीश, जाति-जाट, निवासी-कोथून, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 68 कुल रकबा 0.13 हे0 किस्म जमीन गैर-मुमकिन रास्ता में से 0.06 हे0 भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट गोविन्द पुत्र श्री जगदीश, जाति-जाट, निवासी-कोथून, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर (गैरसायल) को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 0.42 की 50 गुणा राशि रू0 21/-शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को कायमी, बेदखली हेतु लिखे जाने के तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए 3 माह का सिविल कारावास के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।



अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोजेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान् अभिभाषक श्री राधेश्याम शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा 13.07.2018 विधि-विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के मौके की बिना जांच किये व अपीलान्त को साक्ष्य-सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तौर पर एकतरफा आज्ञा पारित की है, जो निरस्तनीय है। अपीलान्त को बिना कोई नोटिस तामील हुए व बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये मनमाने तौर पर एक-तरफा आज्ञा पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला और नोटिस न मिलने/सूचना के अभाव में अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांक 13.07.2018 मनमाने तौर पर नियमों के विपरीत स्वेच्छा कारित अपीलान्त-गैरसायल की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 29.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा जोत लगाकर अतिचार करने की रिपोर्ट की है, जिसके सम्बन्ध में कोई नोटिस न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और न ही अपीलान्त-गैरसायल को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस/सूचना प्राप्त हुई है। विवादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2075 में ही पश्चात्वर्ती अतिचार किये जाने का नोटिस जारी किया गया है। जो कि अपीलान्त को तामील नहीं हुआ और पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच की गई है, पटवारी हल्का के भी बयान नहीं लिये गये हैं। इस प्रकार पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिचार का कोई साक्ष्य-सबूत न होने के बावजूद अपीलान्त-गैर सायल को सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड दिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 68 रकबा 0.06 हे0 गैर-मुमकिन रास्ता पर से अपीलान्त ने अपना अतिचार हटा लिया है और अब कोई कब्जा नहीं है और भविष्य में भी अपीलान्त विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा।



स्थिति में अपील अपीलान्त स्वीकार की जावें व अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 13.07.2018 निरस्त फरमायी जावें।

विद्वान् परोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई।

अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्त-गैरसायल को विधि-पूर्ण तरीके से नोटिस दिया गया है, मौके पर आसामी के न मिलने पर खुले मकान पर दो गवाहों के सम्मुख खुले मकान पर नोटिस की पडत चर्या की गई है। जिसकी हलफिया रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा ने की है। अपीलान्त-गैरसायल जान-बूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई साक्ष्य का विधि-पूर्वक नोटिस एवं समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान कर अतिक्रमी को मौके से दिनांक 07.05.2018 को बेदखल किया गया है। इसके पश्चात् पुनः अतिचार किये जाने का कथन अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2018 से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्त-गैरसायल द्वारा पुनः अतिचार किया गया है क्योंकि अपीलान्त-गैरसायल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2018 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर से अपीलान्त ने कब्जा हटा लिया और अब अपीलान्त का कोई अतिचार नहीं है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन रास्ता दर्ज है इसके अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलान्त द्वारा राजकीय सिवायचक गैर-मुमकिन रास्ते की आराजी पर बिना किसी वैध अधिकार के बार-बार अतिचार किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायसंगत आज्ञा पारित की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 13.07.2018 यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जावे।

रेसपोडेन्ट सं0 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री गोपाल लाल शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलान्त जानबूझकर बार-बार गैर-मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिचार कर आवागमन के रास्ते को बदनियति से अवरुद्ध कर रहा है। अपीलान्त द्वारा कब्जा हटाये जाने का शपथ पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। आज भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का अतिचार है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 13.07.2018 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जावे।


हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2018 में विवादग्रस्त आराजी, गैर-मुमकिन रास्ता होना दर्ज है। इसके खण्डन में अपीलान्त द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही



पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य है जो यह जाहिर करते हो कि विवादग्रस्त आराजी गैर-मुमकिन रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का ने वादग्रस्त आराजी ख0नं0 68 कुल रकबा 0.13 हे0 में से 0.06 हे0 पर गोविन्द पुत्र जगदीश द्वारा सम्वत् 2075 में जोत लगाकर कब्जा किये जाने की रिपोर्ट अंकित की है। गोविन्द द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर कब और कितनी आराजी पर अतिचार किया है और उसे पूर्व में किये गये अतिचार को कब वेदखल किया गया है, सम्बन्धी तथ्यों का इन्द्राज रिपोर्ट में अंकित नहीं है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जो यह सिद्ध करते हो की अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिचार किया है और उसे पूर्व में वेदखल किया है। अलवत्ता पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट-गैरसायल द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2075 में जोत लगाकर अतिचार किया है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 13.07.2018 में से सिविल कारावास की सजा का अंश निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।




(पुरुषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर